



निदेशालय तकनीकी शिक्षा,
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण,
हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर.

पत्रांक:एसटीवी(टीई)एच-जी(1)जी.पी/जनदौर/2019- 68804
सेवा में,

दिनांक:-26.10.2020

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
संसारपुर टैरेस एवं नोडल अधिकारी,
राजकीय बहुतकनीकी, जण्डौर, जिला कांगडा, (हि0 प्र0)।

विषय:- राजकीय बहुतकनीकी, जण्डौर की स्थापना हेतु वन भूमि
तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्या:-ITI/SSR
Terrace/Building/GPJ/18/-202 दिनांक 15.10.2020 के संदर्भ में आपको अवगत
करवाया जाता है कि राजकीय बहुतकनीकी, जण्डौर की स्थापना हेतु वन भूमि
फेरबदल मामला वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत तैयार करने हेतु
आपको नोडल अधिकारी के साथ-2 मामले में समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण
करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। भूमि विभाग के नाम स्थानान्तरित करने हेतु
किसी निजी एजेन्सी से कार्य करवाने हेतु अनुमति भी प्रदान की गई है। निजी
एजेन्सी का चयन भी आपके द्वारा कर लिया गया है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं, कि प्रस्तावित भूमि को
तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम स्थानान्तरित करवाने हेतु बिना किसी विलम्ब के
निजी स्तर पर मामला वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत करवाने हेतु
सम्बन्धित एजेन्सी को अग्रिम निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें। मामले की
अद्यतन सूचना से पाक्षिक आधार पर अधौहस्ताक्षरी को अवगत करवाना सुनिश्चित
करें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें एवं उच्च प्राथमिकता दें।

निदेशक

तकनीकी शिक्षा,
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण,
हिमाचल प्रदेश, सुन्दरनगर।